न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्याः 11 / 2022

दायर दिनांकः 13.05.2022

निर्णय दिनांक 28.04.2025

–: अनवान :–

नारायणलाल पिता भुरा जी जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी नयाखेडा, बिनोल, तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द **– अपीलान्ट**

:: बनाम ::

राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार, सरदारंगढ तहसील आमेट जिला राजसमन्द **– रेस्पोडेन्ट**

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय उप तहसीलदार, सरदारगढ़ तहसील आमेट प्रकरण संख्या 209/2021 सरकार बनाम नारायणलाल निर्णय दिनांक 15.09.2021 से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1– श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलान्ट

2– श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध न्यायालय उप तहसीलदार सरदारगढ़ के प्रकरण संख्या 209/2021 निर्णय दिनांक 15.09.2021 अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट नारायणलाल पिता भूरा जी बैरवा द्वारा राजस्व ग्राम जाटियाखेडा पटवार हल्का साकरोदा की आराजी नम्बर 2 रकबा 0.6500 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने पर हल्का पटवारी के द्वारा धारा 91 के भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय उप तहसीलदार सरदारगढ में अतिक्रमी नारायणलाल के विरूद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उप तहसीलदार सरदारगढ के, न्यायालय में प्रकरण संख्या 209/2021 दर्ज होकर निर्णय भूमि से अतिक्रमी को बेदखल करने और लगान का 50 गुणा शास्ति रूपये 50/– आरोपित करने की सजा से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 15.09.2021 को पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह प्रथम अपील इन आधारों पर प्रस्तुत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में

अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि जो कि किस्म मगरी थी, उस पर काफी मेहनत कर भूमि को विकसित कर काश्त योग्य बनाया है और मगरी भूमि से काफी मेहनत कर लागत लगाकर इस भूमि को फसल उगाने जैसी विकसित की है. ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया है। अपीलान्ट का वर्षों से कब्जा आधिपत्य होने से धारा 91 की कार्यवाही के जरिये बेदखल नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी राजस्थान राज्य बनाम पदमावती के मामले में उक्त प्रकार से की जा रही बेदखली की कार्यवाही को विधि विरूद्ध एवं अवैध माना है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधिक आदेश की परिभाषा में भी नहीं आता है। अपीलान्ट का वर्षों से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपने पास उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर नियमन करने की कार्यवाही करनी थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्ड को देखा ही नहीं निर्णय को लिखाया ही नहीं और अपने मनमकसूद तरीके से आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। जो अवैध एवं विधि विरूद्ध है। न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर वर्ष 2000 से पूर्व का कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है लेकिन अपीलार्थी का केवल सम्वत 2077 का कब्जा मानकर अतिक्रमी बताते हुए बेदखली का जो आदेश पारित किया है वह विधि के विपरीत हैं। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है और अपीलान्ट द्वारा फसल भी प्राप्त की जा रही है। अपीलान्ट उक्त भूमि अपने नाम पर नियमन कराने का भी अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा बिलानाम भूमि पर नियमन करने हेतु परिपत्र कमांक–प–6 (7) राज–4/77/2 दिनांक 11/01/2008 में सिवाय चक भूमियों पर दिनांक 15/07/1994 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने की जारी निर्देशों में नियमन की दिनांक 15/7/1994 से बढाकर दिनांक 1/1/2000 तक कर दिया गया है, तथा उसके पश्चात् उसके नियमन की अवधि 2020 तक की जा चुकी है जबकि अपीलान्ट का कब्जा 2000 से भी पूर्व का है और अपीलान्ट का मामला नियमन योग्य है, लेकिन उसे अपना पक्ष रखने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट उक्त भूमि अपने नाम पर आवंटित/नियमन कराने की पात्रता रखता है। फिर भी इस बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनन विचार नहीं किया है और प्रकरण को खारिज करने में भारी विधिक भूल की है। उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में अपीलान्ट को नहीं थी। दिनांक 19.04.2022 को पटवारी हल्का ने मौके पर आकर अपीलांट को कहा कि तुम्हारे विरूद्ध न्यायालय से आदेश हो चुका है इसलिए तुम्हें शीघ्र ही इस भूमि से बेदखल कर दिया जायेगा । इस पर अपीलांट ने उसी दिन दिनांक 19.04.2022 को अधिनस्थ न्यायालय में जाकर प्रकरण की पत्रावली व आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल अपीलार्थी को दिनांक 25.04. 2022 को प्राप्त हुई जिसके पश्चात् अधिवक्ता से राय ले अपील तैयार करा उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है जो तारीख जानकारी से अंदर मयाद प्रस्तुत है । वैसे भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवेध एवं विधि विरूद्ध है, जिसको कभी भी चुनौति दी जा सकती है। मामला गुणावगुण पर होकर जायदाद से संबंधित है और अपीलान्ट के विधिक

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। फिर भी जानकारी के अभाव में हुऐ विलम्ब की माफी हेतु अलग से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि को अपीलान्ट के नाम पर आवंटित/नियमन करने के आदेश पारित फरमाये जावे ।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट नारायणलाल पिता भूरा जी बैरवा द्वारा राजस्व ग्राम जाटियाखेडा पटवार हल्का साकरोदा की आराजी नम्बर 2 रकबा 0.6500 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने पर हल्का पटवारी के द्वारा धारा 91 के भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय उप तहसीलदार सरदारगढ में अतिक्रमी नारायणलाल के विरूद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उप तहसीलदार सरदारगढ के न्यायालय में प्रकरण संख्या 209/2021 दर्ज होकर निर्णय भूमि से अतिक्रमी को बेदखल करने और लगान का 50 गुणा शास्ति रूपये 50/— आरोपित करने की सजा से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 15.09.2021 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि जो कि किस्म मगरी थी, उस पर काफी मेहनत कर भूमि को विकसित कर काश्त योग्य बनाया है और मगरी भूमि से काफी मेहनत कर लागत लगाकर इस भूमि को फसल उगाने जैसी विकसित की है. ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया है। अपीलान्ट का वर्षों से कब्जा आधिपत्य होने से धारा 91 की कार्यवाही के जरिये बेदखल नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी राजस्थान राज्य बनाम पदमावती के मामले में उक्त प्रकार से की जा रही बेदखली की कार्यवाही को विधि विरूद्ध एवं अवैध माना है। अपीलान्ट का वर्षों से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपने पास उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर नियमन करने की कार्यवाही करनी थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्ड को देखा ही नहीं निर्णय को लिखाया ही नहीं और अपने मनमकसूद तरीके से आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। जो अवैध एवं विधि विरूद्ध है। न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

वर्ष 2000 से पूर्व का कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि को अपीलान्ट के नाम पर आवंटित/नियमन करने के आदेश पारित फरमाये जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष बहस पर गहन मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार सरदारगढ़ की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि पटवारी हल्का साकरोदा ने अपीलार्थी श्री नारायण पिता भुरा बैरवा के विरूद्ध इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि राजस्व ग्राम जाटियाखेड़ा की बिलानाम भूमि आराजी संख्या 2 रकबा 0.6500 हैक्टेयर किस्म बंजड़ में से 0.6500 हैक्टेयर भूमि पर श्री नारायण पिता भुरा बैरवा ने अनाधिकृत कब्जा किया है। जिससे इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करावे। पटवारी हल्का साकरोदा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.08.2021 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी श्री नारायण पिता भुरा बैरवा को दिनांक 15.09.2021 को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी को जारी नोटिस बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। नियत पेशी दिनांक के दिन अतिक्रमी स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुना जाकर अपीलार्थी का बिलानाम भूमि पर कब्जा पाये जाने से अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली आदेश पारित किया गया।

जहां तक वादग्रस्त भूमि के नियमन का प्रश्न है, अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने पुराने कब्जे होने संबंधित कोई दस्तावेज/साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये और ना ही अपीलार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि प्रश्नगत वादग्रस्त भूमि बिलानाम होना निर्विवादित है एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बिलानाम भूमि पर किये गये अनाधिकृत कब्जे से बेदखली आदेश पारित करने व अतिक्रमी के विरूद्ध शास्ति आरोपित करने के अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर समूचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर व न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ण प्रक्रिया का पालन की जाकर बेदखली आदेश पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सरदारगढ़ के द्वारा दिनांक 15.09.2021 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति उप तहसीलदार सरदारगढ़ को लौटायी जावे।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद